भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या :1351
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 11 दिसंबर, 2023
20 अग्रहायण, 1945 (शक)

कलाकृतियों की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय

1351. **श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:**
क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों से बरामद की गई तमिलनाडु की कलाकृतियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु से संबंधित उन कलाकृतियों की संख्या का देश-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न देशों से अभी बरामद किया जाना है; और

(ग) कलाकृतियों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और तस्करी की गई कलाकृतियों को बरामद करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले दस वर्षों के दौरान विदेश से वापस लाए गए पुरावशेषों में से तमिलनाडु से संबंधित 31 पुरावशेष अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके और यूएसए से प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग): अवैध रूप से निर्यात किए गए भारतीय पुरावशेषों का प्रत्यर्पण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है। जब कभी किसी पुरावशेष के चोरी होने की सूचना मिलती है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और चोरी हुए पुरावशेष को ढूढने और इसके अवैध निर्यात को रोकने के लिए सीमा शुल्क निकास चैनलों सहित विधि प्रवर्तक एजेंसियों को 'लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है। यदि पुरावशेष का पता लगा लिया जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए संबंधित विधि प्रवर्तक एजेंसी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके मामले पर कार्रवाई शुरू की जाती है।

सरकार भारत से चोरी करके विदेश ले जाए गए भारतीय मूल के ऐसे पुरावशेषों को वापस लोने के लिए प्रतिबद्ध है। जब कभी भारतीय मूल के ऐसे किसी पुरावशेष के विदेश में होने का पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उनको वापस प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों के साथ मामले को उठाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 से 2023 तक विदेश से 357 पुरावशेष वापस प्राप्त किए हैं जिनमें से 344 पुरावशेष वर्ष 2014 से वापस प्राप्त किए गए हैं।

*****